रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2012/चैत्र 2, 1934

No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2012/CHAITRA 2, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2012

फा. सं. एम(सी)/2012.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सीएनजी के लिए कंप्रेसन प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 'क' के संलग्नक 3 में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेसन प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 की अनुसूची 'क' के संलग्नक 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए नामत:

"अनुसूची 'क' का संलग्नक 3

(अनुसूची का खण्ड 4(4) (छ) देखें)

नेटवर्क टैरिफ के लिए निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ के निर्धारण में अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी) के कार्य को करने में खर्च की गई लागत।

---

1. विनियम 3(1)(क) या विनियम 3(1)(ख) के अंतर्गत शामिल किसी कंपनी के संबंध में -

(क) कंपनी द्वारा प्राधिकरण के बाद जोड़े जाने वाले नए पीएनजी घरेलू उपभोक्ताओं को एलएमसी प्रभार का अग्रिम में भुगतान नहीं करना होगा और ऐसे मामले में संबंधित सुविधाएं और उपकरण कंपनी की संपत्ति होंगे;

(ख) यदि फिर भी किसी कंपनी ने किन्हीं घरेलू पीएनजी ग्राहकों को कनेक्टिविटी पहले ही उपलब्ध करा दी है और अग्रिम ले लिया है तो एलएमसी प्रभार, सुविधाएं और उपकरण जैसे रेगुलेटर, मीटर, पाइप, वाल्व, आदि कंपनी की संपत्ति बने रहेंगे, जिन्हें इनका अनुरक्षण करना होगा;

(ग) कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 14(1) के अंतर्गत उसमें विनिर्दिष्ट अनुसार श्रम लागत सहित उपकरणों और सुविधाओं के संबंध में प्रतिदेय ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि ले सकती है। घरेलू ग्राहक को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 14(1) में विनिर्दिष्ट लम्बाई से अधिक की पाइप और ट्यूब लगाने के लिए सामग्री और श्रम प्रभारों की वास्तविक लागत वहन करनी होगी। एलएमसी प्रभारों के संबंध में घरेलू पीएनजी ग्राहक से अलग से कोई वसूली करने की अनुमति नहीं होगी। एलएमसी के नेटवर्क टैरिफ, घरेलू पीएनजी ग्राहक से वसूल की गई प्रतिदेय ब्याज-मुक्त सुरक्षा जमा राशि के निवल में एक-बारगी समायोजन करने की अनुमति अंतराल अवधि के लिए ही दी जाएगी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 के लागू होने की तारीख, जो 19.3.2008 है, तथा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2012 की अधिसूचना की तारीख के बीच होगी।"

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./188/11]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को सं. सा.का.नि. 197(अ), दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 801(अ) दिनांक 19 नवंबर, 2008 और सा.का.नि. 479(अ) दिनांक 7 जून, 2010 द्वारा संशोधित किया गया था ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2012

F. No. M(C)/2012.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.
   (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Attachment 3 to Schedule A.
   In the Attachment 3 to Schedule A of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely-

" Attachment 3 to Schedule A
(see clause 4 (4) (g) of the Schedule)

Treatment of Costs incurred in last mile connectivity (LMC) in the determination of total return on capital employed for network tariff

1. In respect of an entity covered either under regulation 3 (1) (a) or under regulation 3 (1) (b) -

   (a) the new PNG domestic consumers to be connected by the entity post-authorisation shall not be required to pay the LMC charges upfront and in such a case, the related facilities and equipments shall be the property of the entity;

(b) even if such entity has already provided connectivity to some domestic PNG customers and also upfront collected the LMC charges, the facilities and equipments, like, regulator, meter, pipe, valves, etc. shall continue to be property of the entity who shall be required to maintain them;

(c) entity may collect refundable interest free security deposit as specified under regulation 14 (1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities for Laying, Building, Operating or Expanding City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 in respect of the equipments and facilities including the labour cost as specified therein. The domestic consumer shall bear the actual cost of the material and labour charges for the pipe and tubing in excess of the length specified in regulation 14 (1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities for Laying, Building, Operating or Expanding City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. No separate recovery in respect of LMC charges shall be permissible from the domestic PNG customer. A one-time adjustment in network tariff for the LMC, net of the refundable interest free security deposit recovered from the domestic PNG customer, shall be permitted for the intervening period, that is, between the date of commencement of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008 which is 19.3.2008 and upto the date of notification of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2012."

RATAN P. WATAL, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./188/11]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 197(E), dated 19th March, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 801(E), dated 19th November, 2008 and G.S.R. 479(E), dated 7th June, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.